


महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: सामान्य/07/2022/69492-571 दिनांक: 27.01.2022


आदेश

कारागृह/सुधारगृह/उप कारागृह में मोबाईल, कैमरा, इत्यादि ले जाना प्रतिबन्धित है। विशेष परिस्थितियों में अधीक्षक/उपाधीक्षक द्वारा इस हेतु अनुमति दी जा सकेगी तथा ऐसे प्रत्येक मामले में रिकॉर्ड में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।

  
(भूपेन्द्र कुमार दक)  
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक  
कारागार, राजस्थान

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त महानिदेशक कारागार, राजस्थान।
2. महानिरीक्षक पुलिस, कारागार, राजस्थान।
3. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
6. कमाण्डेंट, 13वी बटालियन आर.ए.सी. (जेल सुरक्षा), जयपुर।
7. समस्त प्रभारी, कारागृह/सुधारगृह/उप कारागृह, राजस्थान।
8. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
9. प्रभारी, बंदी शाखा, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार को वास्ते अपलोड हेतु।

  
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक  
कारागार, राजस्थान